फर्द अहकाम

भागीरथ बनाम रमेश

लय का नाम :–उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

सं. 147/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26.3.25	पत्रावली पेश हुई। वुकलाए फरीकेन उपस्थित। पूर्वादेश की पालना में पत्रावली दिनांक 16/4/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
16.4.25	पत्रावली पेश हुई। वुकलाए फरीकेन उपस्थित। पूर्वादेश की पालना में पत्रावली दिनांक 11/6/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
11.6.25	पत्रावली पेश हुई। वुकलाए फरीकेन उपस्थित। पूर्वादेश की पालना में पत्रावली दिनांक 30/7/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
30-7-25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 8/8/25 को पेश हो	
8/8/25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ ने कार्य स्थगित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 10/9/25 को पेश हो।	
10.9.25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 8/10/25 को पेश हो	
8.10.25	पत्रावली पेश हुई। वुकलाए फरीकेन उप॰। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के	

उपरांत भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन एवं पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन उपरांत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अत: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को तालेसला वाद पाबंद किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी खसरा सं० 146 रकबा 6.7398 वाके ग्राम लोहरवाड़ा पं. स. डिंगोनिया के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली कैफल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर